झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

तृतीय-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 28.08.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	सर्वश्री योगेन्द्र प्रसाद,स्टीफन मराण्डी एवं श्री राजकुमार यादवद स0वि0स0	टी0 वी0 एन0 एल0 द्वारा गेट के पूरब दिशा की ओर से छाईयुक्त गंदा पानी तेनुघाट डैम में वर्षो वर्ष से गिरा जा रहा है। जिसके चलते डैम आधा भर चुका है। डैम का अस्तित्व खतरे में है। पानी दूषित हो चुका है। ज्ञात हो कि तेनुघाट डैम का पानी बोकारो स्टील सीटी के शहरी एवं सेक्टर क्षेत्रों तथा गोमिया के शहरी क्षेत्र में पेयजल के रूप में आपूर्ति किया जाता है। टी0 वी0 एन0 एल0 के दक्षिण दिशा में कटेल नदी बहती है इसमें भी छाईयुक्त गंदा पानी गिराये जाने से नदी में परत-दर परत छाई बिछ जाने के कारण नदी का स्वरूप ही बदल गया है। नदी का अस्तित्व खत्म हो चुका है। इस छाईयुक्त गंदा पानी से कितने खेत व फसल बर्बाद हो चुके है। इतना ही नहीं इसमें कितने पशु छाई में फसकर मारे गये है। विभाग द्वारा कई बार पत्राचार के माध्यम से प्रबंधन को इस घटना व समस्या से अवगत कराया गया है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। विभाग द्वारा पत्राचार की गयी छायाप्रति संलग्न है। अतः प्रबंधन पर कार्रवाई करते हुए कटेल नदी तथा तेनुघाट डैम में छाईयुक्त गंदा पानी न गिराने की सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	ऊर्जा
02-	श्री रवीन्द्र नाथ महतो एवं श्री दीपक विरूवा स0वि0स0	झारखण्ड राज्य नागर विमानन विभाग के द्वारा झारखण्ड फलाईंग कल्ब राँची/दुमका की स्थापना एवं कार्य प्रारंभ के साथ ट्रेनिंग ग्लाइडर एवं राज्य एयर एम्बूलेंस/ राज्य स्तरीय सरकारी कार्यो के लिए विमान एवं हेलिकॉपटर की अबतक खरीद नहीं होने के कारण 5 लाख रूपया प्रतिदिन व्यय हो रहा है, साथ ही	परिवहन एवं नागर विमानन

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		सभी जिलों में जहाज उतरने वाले ऐरोड्रम भी अभी तक नहीं बन पाई है, तथा झारखण्ड के विद्यार्थियों को दुसरे राज्य में प्रशिक्षण हेतू भेजा जाता है और उनका प्रशिक्षण भी पूर्ण नहीं होता है और वापस भेज दिया जाता है। झारखण्ड के विद्यार्थियों को पायलट प्रशिक्षण/ जहाज एवं हेलिकॉपटर खरीद तथा ऐरोड्रम निर्माण के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
03-	श्री सत्येन्द नाथ तिवारी एवं श्री निर्भय कुमार शाहाबादी स0वि0स0	झारखण्ड राज्य में शिक्षा की गुणवता बढ़ाने के लिए 2005 में BRP/CRP (प्रखण्ड साधन सेवी/ संकुल साधन सेवी) को नियुक्त किया गया था, जिन्हें 2011 में परियोजना द्वारा दैनिक भत्ता के जगह मासिक परिलब्धी दिया जाने लगा, 4 सितम्बर 2014 को 38वीं कार्यकारिणी के बैठक में यह निर्णय लिया गया कि CRP को अगले वित्तीय वर्ष-2015-2016 से CRCC के रूप में कार्य लिया जायेगा, चूकि RTE में CRP का पद नहीं रहने के वजह से CRP को CRCC में समायोजित किया गया। पत्र संख्या- PED/04/40/2014-117 दिनांक- 09/01/2015 को राज्य परियोजना निदेश द्वारा पत्र निर्गत इस उल्लेख के साथ किया गया है कि BRP/ CRP को दो (2) वर्षो के अन्दर कार्य करते हुए स्वयं के निजी खर्च पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने पर सेवा समाप्त कर दिया जायेगा। अतः राज्य कार्यकारिणी की 38वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य के 3200 BRP/ CRP को NCET से मान्यता प्राप्त संस्थान से सरकारी खर्चे पर प्रशिक्षित कराने RTE के प्रावधान के तहत् CRCC को स्तर का मानदेय, यात्रा भत्ता, बीमा और अन्य भत्ता देने तथा BRP को प्रखण्ड स्तरीय अतिरिक्त प्रखण्ड संसाधन केन्द्र बनाने के लिए मै सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
04-	सर्वश्री साधुचरण महतो, रामचन्द्र सहिस एवं श्री लक्ष्मण टुडू स0वि0स0	पूर्व में (एकीकृत बिहार) पिछड़ी जाति (ओ0बी0सी0) को सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण देती थी पर वर्त्तमान में झारखण्ड सरकार पिछड़ी जाति (ओ0बी0सी0) की आरक्षण को घटाकर काफी कम आरक्षण दे रही है। जिससे पिछड़ी जाति के लोगों के मन में काफी निराशा छा गई है एवं लोग सरकार से उपेक्षित महसूस कर रहे है और लोगों में सरकार के प्रति नकारात्मक सोच पनप रही है। जिससे सरकार की साख गिरने की आशंका प्रतीत होती है। अतः पिछड़ी जाति (ओ0बी0सी0) पुनः 27 प्रतिशत आरक्षण देने की ओर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहूँगा।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

01.	02.	03.	04.
05-	डॉ0 जीतूचरण राम स0वि0स0	वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 1303, दिनांक- 18.04.2009 के कंडिका-9 के अनुसार राज्य सरकार सैंधान्तिक रूप से सहमत है कि राज्य कर्मियों का वेतन भत्ता एवं सेवाशर्त्त केन्द्र के अनुरूप हो। ऐसी स्थिति में वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 660/वि0 दिनांक- 28.02.2009 के द्वारा स्वीकृत वेतनमान केन्द्रीय कर्मियों के मामले में लागू सेवा शर्त्तो के अधीन होना आवश्यक है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाष विभाग, झारखण्ड राँची के अधिसूचना संख्या- 4447 दिनांक- 26.07.2010 द्वारा गठित झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली- 2010 के कंडिका-7 में वर्णित निम्न वर्गीय लिपिक में सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गयी है लेकिन केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली- 2010 में निम्न वर्गीय लिपिक की सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 रखी गयी है। झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली- 2010 को केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली- 2010 के अनुरूप निम्न वर्गीय लिपिक के सीधी नियुक्ति हेतु न्यनतम योग्यता स्नातक से 10+2 संशोधन करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	कार्मिक प्रशासनिक, सुधार तथा राजभाषा

राँची,
दिनांक- 28 अगस्त, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

(कृ0 पृ0 उ0)

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-59/2015-2557/वि0 स0, राँची, दिनांक-27.08.15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ऊर्जा विभाग/ परिवहन एवं नागर विमानन विभाग/ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/15

(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-59/2015-2557/वि0 स0, राँची, दिनांक-27.08.15

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

27/8/15

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

27.08.15